(9)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी – अभिमन्यु कुमार (आई. ए. एस.)

मि.न. 55/14 रजु दिनांक 07.08.2014

उनवान

1. सरकार जरिये प्रर्वतन निरीक्षक हिण्डौन सिटी तह0 हिण्डौन सिटी व जिला करौली ——प्रार्थी

बनाम

2. हाकिम सिंह गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार भ्रमणशील इकाई हिण्डौन सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा '6ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 4420 लीटर केरोसीन तेल मय वारदाना लोहे 21 ड्रम राजसात् करने बावत् ।

निर्णय दिनांक 28.8.2017

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रर्वतन निरीक्षक हिण्डौन सिटी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 05.08.2014 को दूरभाष पर उप जिला कलक्टर हिण्डौन सिटी के आदेश की पालना में वृत्ताधिकारी हिण्डौन अर्जुन सिंह व थानाधिकारी हिण्डौन कैलाश जिन्दल द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना में प्रवर्तन निरीक्षक व रसद लिपिक हिण्डौन के साथ सपाट के पास जलसैन मार्ग पर स्थित राम सिह पुत्र भंवर सिंह निवासी हिण्डौन सिटी के पास दुकान में अवैध केरोसीन की जाँच हेतु पहुँचे मौके पर वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी उचित मूल्य दुकानदार हाकिम सिंह गुर्जर कोबरा टीम के लीडर भंवर सिंह कर्दम एवं अन्य सदस्य के साथ स्थानीय लोग उपस्थित मिले सभी की उपस्थिति में दुकान को खुलवाया दुकान को खुलवाने पर भौतिक सत्यापन में लोहे के 20 ड्रम रखे पाये गये जिसमे 17 ड्रम नीले केरोसीन से भरे हुए एवं एक थोडा सा खाली गैज से मापने पर कुल 3920 लीटर होना पाया गया । उचित मूल्य दुकानदार हाकिम सिंह गुर्जर ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज के सामने गीता टॉकीज के पास एक और दुकान है जिसमें मेरा और केरोसीन रखा है मौके पर जाकर भैतिक सत्यापन किया तो 2 ड्रम भरे हुए 1 ड्रम में 50.60 केरोसीन गैज से मापने पर कुल 500 लीटर केरोसीन रखा पाया गया। इस प्रकार दोनो दुकानो पर 4420 लीटर केरोसीन पाया गया। मौके पर उचित मुल्य दुकानदार हाकिम सिंह ने 2 स्टॉक रजिस्टर पेश किये जिनमें एक रजिस्टर ग्राम पंचायत ढहरा 1/3 भाग का जिसमें दिनांक 25.07.2015 मे 1500 लीटर केरोसीन आमद होना दर्ज है जिसमें से 750 लीटर केरोसीन की बिक्री का इन्द्राज है स्टॉक रजिस्टर में पुनः दिनांक 31.07.2014 में 1500 लीटर केरोसीन की आमद दर्ज है इस प्रकार ढहरा 1/3 भाग का 2250 लीटर केरोसीन अन्तिम शेष स्टॉक में होना दर्ज है नम्बर 2 दूसरा स्टॉक रजिस्टर सोमला 1/3 भाग (अस्थायी) का प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 30.07.2014 को 1890 लीटर केरोसीन की आमद दर्ज है। इस प्रकार दोनों दुकानों में 4420 लीटर केरोसीन होना रखा पाया गया। जो स्टॉक रजिस्टर से 280 लीटर अधिक होना पाया गया। दुकानदार भ्रमणशील से प्राधिकार पत्र एवं दोनो दुकानों के प्रमाणित नक्शे मांगे गये तो उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पेश नही किये जाने पर प्रथम दृष्टया 4420 लीटर केरोसीन के अवैद्य/ अधोषित स्थल पर भण्डारण करने गबन/ कालाबाजारी के आंशका के मध्येनजर एवं प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 1,10,11 एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन दुकानदार द्वारा किये जाने के कारण 4420 लीटर केरोसीन 21 लाहे के ड्रम मय बारदाना जप्त किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर हिण्डौन सिटी के वार्ड न0 13 के उचित मूल्य दुकानदार दिलीप शर्मा की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखवाया गया। अतः निवेदन है कि जप्तशुदा 4420 लीटर केरोसीन को मय वारदाना राजसात करने के आदेश प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
करौली

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पास रसद सामग्री वितरण करने हेतु भ्रमणशील इकाई हिण्डौन क्षेत्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत अस्थायी ढहरा 1/3 भाग व ग्राम पंचायत सोमला 1/3 भाग की रसद साम्रगी वितरण एवं

उठाव हेतु लगा रखा है। यह कि दिनांक 05.08.2014 को प्रार्थी की दुकान का अकस्मात् निरीक्षण सतर्कता दल मय जाप्ता पुलिस ने गोदाम पर पहुंच कर किया गया। जिसमें 4420 लीटर केरोसीन स्टॉक में पाया गया, तथा स्टॉक के मुताबिक 280 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना अंकित किया है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत सोमला 1/3 भाग रसद सामग्री वितरण एवं उठाव की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु दिनांक 25.07.2014 को लगाया गया। दिनांक 30.07.2014 को अप्रार्थी को केरोसीन फर्म द्वारा सोमला ग्राम पंचायत 1/3 भाग हेतु उतारा गया। गोदाम नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा ई.आई. साहब के मौखिक निर्देशानुसार नये गोदाम पर उतारा गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा नये गोदाम को प्रमाणित कराने हेतु कागज व नक्शा आदि तैयार कराने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी कागज तैयारी मे लग गया अप्रार्थी के पास पूर्व दुकान छोटी होने के कारण केरोसीन को नये गोदाम पर फर्म द्वारा बिल नं. 5759 दिनांक 25.07.2014 को ग्राम पंचायत ढहरा 1/2 भाग को वितरण हेतु उतारा गया जिसमें से 750 लीटर केरोसीन वितरण के बाद शेष बचा केरोसीन फर्म द्वारा दिनांक 30.07.2014 को अगस्त 2014 के पेटे वितरण हेतु ग्राम पंचायत ढहरा 1/2 भाग के लिये प्रवर्तन निरीक्षक के मौखिक आदेश से फर्म द्वारा मेरे मना करने के बाबजूद उतारा गया जिसको रखने के लिये जगह नही होने के कारण नये गोदाम में रखा गया। प्रवर्तन अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार नये गोदाम के प्रमाणित हेतु कागज तैयार करवाये जा रहे थे। इसी दौरान गोदाम का निरीक्षण कर लिया गया वरवक्त निरीक्षण सही गेज से नापतौल नही की गई अंदाज से ही नापतौल की गई इसके कारण 280 लीटर केरोसीन अधिक दिखाया गया जो कि गलत दिखाया गया है अप्रार्थी स्टॉक में रखे केरोसीन में कोई बदनीयत नही थी और न ही काला बाजारी करने की नियत से रखा गया। समय अभाव के कारण व नया अटेचमेंट दिनांक 25.07.2014 को सोमला के 1/3 भाग का होने से नये गोदाम मे रखा गया था। अतः निवेदन है कि धारा 6(**A**) आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

बहस पैरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस मे कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार हाकिम सिंह की मृत्यु होना बताया। अप्रार्थी द्वारा नये गोदाम में अवैध 4420 लीटर केरोसीन का भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने से 4420 लीटर केरोसीन स्टॉक में अधिक होने से जप्त शुदा केरोसीन को राजसात किये जाने का आदेश प्रदान किये जावे। एवं अप्रार्थी की मृत्यु हों जाने के कारण प्रकरण मे कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है ।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि ग्राम पंचायत सोमला के 1/3 भाग का अस्थायी चार्ज जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 25.07.2014 को दिया गया था और दिनांक 30.07.2014 को ही केरोसीन उतारा गया था। गोदाम सत्यापन नही होने के कारण अप्रार्थी ने प्रवर्तन निरीक्षक के मौके निर्देश पर केरोसीन नये गोदाम पर उतारा गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नये गोदाम को प्रमाणित कराने हेतु कागजात व नक्शा आदि तैयार कराने के मौखिक आदेश दिये गये थे। अप्रार्थी कागजात व नक्शा की तैयारी मे लग गया। उसी दौरान गोदाम का निरीक्षण कर लिया गया एवं वक्त निरीक्षण सही गेज से नापतोल नही की गई अंदाज से ही नापतोल की गई अप्रार्थी के स्टॉक में रखे केरोसीन में कोई बदनियती नही थी ना ही कालाबाजारी की नियत थी। समयाभाव व नये अटैचमेन्ट दिनांक 25.07.2014 ग्राम पंचायत सोमला का 1/3 भाग होने से नये गोदाम में रखा गया था। वितरण दिवस तक अप्रार्थी द्वारा नक्शा नये अटैचमेन्ट 1/3 भाग सोमला का कराना था इसी दौरान गोदाम निरीक्षण के आधार पर केरोसीन जप्त किया गया है। उक्त जप्ती कार्यवाही वितरण दिवस से पूर्व होने से वैधानिक नही है और निरस्त किये जाने योग्य है। एवं प्रार्थी के पास भ्रमणशील इकाई हिण्डौन का प्राधिकार पत्र है।वर्तमान मे अप्रार्थी की मृत्यु होने के कारण प्रकरण मे सुनबाई /कार्यवाही किया जाना उचित नही है अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर जप्त किया गया केरोसीन को उचित मूल्य दुकानदार से राशनकार्ड धारीयो को बितरण कर तथा प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा किये जाने के आदेश प्रदान करे ।

जिला कलेक्टर
करौली

(11)

उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 (ए) वस्तु अधिनियम में जप्तशुदा केरोसीन प्रमाणित गोदाम में नही होने से केरोसीन का अवैध गोदाम पर रखा होना एव केरोसीन की कालाबाजारी होने का अंदेशा इस कारण प्रतीत नहीं होता है कि उचित मूल्य दुकानदार के पास भ्रमणशील इकाई हिण्डौन का प्राधिकार पत्र प्राप्त है एवं प्रार्थी को ग्राम पंचायत ढहरा के 1/3 भाग व 1/3 भाग ग्राम पंचायत सोमला का अस्थायी रसद सामग्री वितरण एव उठाव हेतु लगा रखा है। जिसके लिए अप्रार्थी को दिनांक 25.7.2014 को लगाया गया है एवं दिनांक 30.7. 2014 को उक्त कैरोसीन ग्राम पंचायत सोमला के 1/3 भाग हेतु उतारा गया गोदाम नहीं होने के कारण उतारा गया है एवं अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 6(**a**) आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है। जब्तशुदा कैरोसीन तेल 4420 लीटर को उचित मूल्य दुकानदार से राशनधारियों को वितरण कराये जाने एवं प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा कराने के निर्देश जिला रसद अधिकारी करौली को दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय दिनांक 28.8..2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
(आई .ए. एस.)
जिला कलक्टर
करौली